558 11/…

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 142/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/12/19	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादीनी भगवती देवी पुत्री लिखमाराम जाति जाट निवासी भांगीवाद ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।	2019 / 00261

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम भांगीवाद की जमाबन्दी संवत 2076–79 नया खाता खंख्या 154 पुराना खाता संख्या 139 में प्रार्थनी का नाम राजस्व रिकार्ड में भागोती पुत्री लिखमाराम उर्फ लिछमण जाति जाट निवासी भांगीवाद खातेदार दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थनी का नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थनी का नाम भगवती देवी पुत्री लिखमाराम उर्फ लिछमण जाति जाट निवासी भांगीवाद खातेदार है। प्रार्थनी का नाम भगवती देवी पुत्री लिखमाराम उर्फ लिछमण किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2076–79 में प्रार्थनी का नाम भागोती पुत्री लिखमाराम उर्फ लिछमण जाति जाट निवासी भांगीवाद खातेदार दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थनी का सही नाम भगवती देवी पुत्री लिखमाराम उर्फ लिछमण जाति जाट निवासी भांगीवाद है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भांगीवाद तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में नया खाता संख्या 154 पुराना खाता संख्या 139 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	भांगीवाद	154 / 139	भागोती पुत्री लिखमाराम उर्फ लिछमण जाति जाट निवासी भांगीवाद खातेदार	भगवती देवी पुत्री लिखमाराम उर्फ लिछमण जाति जाट निवासी भांगीवाद खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/19

उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 16:20:22 IST
Reason: SelfAttested